न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 11/2021
बउनवानः–

रामनारायण पुत्र श्री हीरालाल जाति कहार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 15.01.2021 निर्णय दिनांक : 13.07.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के पिता के खाते की भूमि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवा में खाता संख्या 4 खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 स्थित है। जिसमें वादी के पिता हीरा पुत्र दोला का हिस्सा 1/3 दर्ज है। उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2076–79 वर्तमान में हीरा पुत्र छोट्या के खाते दर्ज है जबकि वादी के पिता का सही नाम हीरा पुत्र दोला है। जो कि वादी के पिता के राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र व वादी के पिता की खाते की जमाबंदी सम्वत 2014–2033 में भी वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज है। वादी के पिता हीरा पुत्र दोला की मृत्यु दिनांक 05.07.2007 को हो चुकी है। वर्तमान जमाबंदी में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या दर्ज होने से वादी के पिता का फौती नामान्तकरण भी आज तक नही खुला है। वादी ग्राम शिवपुरा की खाता संख्या 4 खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 में अपने पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर सही नाम हीरा पुत्र दोला दर्ज करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सोनवां की खाता संख्या 4 खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला दर्ज किये जान के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/88 दिनांक 19.02.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड ग्राम शिवपुरा में जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 4 में खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 भूमि में हीरा पुत्र छोट्या कहार हिस्सा

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

1/3 सीसवाली के शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2014–2033 की जमाबंदी खाता संख्या 5 खसरा नं0 42 रकबा 8.07 बीघा भूमि हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 निवासी सीसवाली के खाते दर्ज हैं। खातेदार हीरा की वल्दीयत सेटलमेंट की जमाबंदी में हीरा वल्द दोल्या के स्थान पर हीरा वल्दा छोट्या दर्ज हो गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र, आधार कार्ड राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में हीरालाल पुत्र दोल्या दर्ज है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रो के आधार पर ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 भूमि खातेदार हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार हिस्सा 1/3 से नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 13.07.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद मत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, आदि से भी वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र दोला कहार होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं रामनारायण पुत्र हीरा जाति कहार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 13.07.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी ग्राम शिवपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 4 खसरा नं0 56 रकबा 1.24 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी के पिता का नाम हीरा पुत्र छोट्या के स्थान पर हीरा पुत्र दोला कहार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां राज.
(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner